

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

संसं- ल०सिं०मो० / HKKP/मोतिहारी / 2024-25 / 736 / 2024 ५५८ पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५  
प्रेषक,

अनौपचारिक रूप  
सेपरामर्शित

सेवा में,

संगीता सिंह, भा०प्र०से०  
सरकार के अपर सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग ।

द्वारा:-

महालेखाकार,  
बिहार, पटना ।  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत कपरसंडी उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 38.036 लाख (अड़तीस लाख तीन हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत कपरसंडी उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 38.036 लाख (अड़तीस लाख तीन हजार छः सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राकलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	कपरसंडी उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	मोतिहारी	बंजरिया	38.036	40

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्व्यय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578 / वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-26.12.2024 को ल०सिं०मो० / HKKP/मोतिहारी / 2024-25 / 736 / 2024 के पृ०-11/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संबंधित संचिका के पृ०-12/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर होंगे ।

(Signature)

महालेखाकार

Y

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी ।  
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

३१/१२/२५  
(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ४४७ पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ४४७ पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ४४७ पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-०३/विभागीय बजट प्रशाखा-०२/ आई०टी० मैनेजर/आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

४४७

३१/१२/२५

३१/१२/२५

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०- ल०सं०मो० / HKKP/मोतिहारी / 2024-25 / 736 / 2024 ५४८

पटना, दिनांक- ०२/०१/२०२५

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप  
सेपरामर्शित

सेवा में,

संगीता सिंह, भा०प्र०से०  
सरकार के अपर सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग ।

द्वारा:-

महालेखाकार,  
बिहार, पटना ।

विषय:-

आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत पिपराकोठी जीरात उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 37.607 लाख (सैंतीस लाख साठ हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राकलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	पिपराकोठी जीरात उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	मोतिहारी	पिपराकोठी	37.607	40

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्वय्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि०(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578 / वि०, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-26.12.2024 को ल०सं०मो० / HKKP/मोतिहारी / 2024-25 / 736 / 2024 के पृ०-11/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संबंधित संचिका के पृ०-12./टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर होगें ।

मेरा

उपस्थिति

मेरा

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५८

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~2/3/25~~

ज्ञापांक— ५५८

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

सरकार के अपर सचिव

प्रतिलिपि:— विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~2/3/25~~

ज्ञापांक— ५५८

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

सरकार के अपर सचिव

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-03/विभागीय बजट प्रशाखा-02/ आई०टी० मैनेजर/आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~2/3/25~~

सरकार के अपर सचिव

ग्राम

मूल्य

क्रमांक

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0— ल0सिं0मो0/HKKP/मोतिहारी/2024–25/736/2024 ५५९ पटना, दिनांक— ०२/०१/२०२५

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप  
सेपरामर्शित

सेवा में,

संगीता सिंह, भा०प्र०से०  
सरकार के अपर सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग ।

द्वारा—

महालेखाकार,  
बिहार, पटना ।  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय—

वित्तीय वर्ष 2024–25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत बरवा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 38.109 लाख (अड़तीस लाख दस हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश—

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत बरवा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 38.109 लाख (अड़तीस लाख दस हजार नौ सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है—

क्र० सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राकलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	बरवा उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	मोतिहारी	मोतिहारी	38.109	40

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय—02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष—4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—101— सतही जल, उप शीर्ष—0106— हर खेत तक सिंचाई का पानी— सात निश्चय—2, विपत्र कोड 50—4702001010106, विषय शीर्ष—53—01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष—4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—789— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—0106— हर खेत तक सिंचाई का पानी— सात निश्चय—2, विपत्र कोड 50—4702007890106, विषय शीर्ष—53—01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्वय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक—96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक— 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक— 18.09.2008 एवं 3578 / वि0, दिनांक— 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक—26.12.2024 को ल0सिं0मो0/HKKP/मोतिहारी/2024–25/736/2024 के पृ०—11/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संबंधित संचिका के पृ०—12/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक—7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर होंगे ।

(S)ma

मुख्य

X

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

  
(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५९

पटना, दिनांक—

०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
३/१/२५

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५९

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:— विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
३/१/२५

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५९

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-०३/विभागीय बजट प्रशाखा-०२/ आई०टी० मैनेजर/आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
३/१/२५

सरकार के अपर सचिव

मा.

मुख्य

मुख्य

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

सं०सं०— ल०सिं०मो० / HKKP/मोतिहारी / 2024–25 / 736 / 2024 ५८०

प्रेषक,

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

अनौपचारिक रूप  
सेपरामर्शित

सेवा में,

संगीता सिंह, भा०प्र०स०  
सरकार के अपर सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग।

द्वारा—

महालेखाकार,  
बिहार, पटना।

विषय—

वित्तीय वर्ष 2024–25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत मंज़रिया उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 38.947 लाख (अड्डीस लाख चौरानवे हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश—

स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत मंज़रिया उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 38.947 लाख (अड्डीस लाख चौरानवे हजार सात सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। योजना का विवरणी निम्न प्रकार है—

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राकलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	मंज़रिया उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	मोतिहारी	पिपराकोठी	38.947	40

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है। तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय—०२ “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष—४७०२—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—००, लघु शीर्ष—१०१— सतही जल, उप शीर्ष—०१०६— हर खेत तक सिंचाई का पानी— सात निश्चय—२, विपत्र कोड ५०—४७०२००१०१०१०६, विषय शीर्ष—५३—०१ मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष—४७०२—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—००, लघु शीर्ष—७८९— अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष—०१०६— हर खेत तक सिंचाई का पानी— सात निश्चय—२, विपत्र कोड ५०—४७०२००७८९०१०६, विषय शीर्ष—५३—०१ मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्वय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा। वित्त विभागीय पत्रांक—९६ वि०(२) दिनांक ०३.०१.२००८, २५६१ दिनांक— १७.०४.९८ एवं ८०० वि०(२) दिनांक— १८.०९.२००८ एवं ३५७८ / वि०, दिनांक— ३१.०५.१७ में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी।
9. दिनांक—२६.१२.२०२४ को ल०सिं०मो० / HKKP/मोतिहारी / 2024–25 / 736 / 2024 के प०—११/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।
10. संबंधित संचिका के प०—१२/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. वित्त विभागीय पत्रांक—७३५५ दिनांक ०५.१०.०७ के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर होंगे।

४५४

४५५

४५६

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५०

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, मोतिहारी /कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५०

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५०

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-०३/विभागीय बजट प्रशाखा-०२/ आई०टी० मैनेजर/आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

मुख्य

सचिव

मा.

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0- ल0सं0मो0 / HKKP/मोतिहारी / 2024-25 / 736 / 2024 ५८।  
प्रेषक,

पटना, दिनांक— ०७।०।।२०२५

अनौपचारिक रूप  
सेपरामर्शित

संगीता सिंह, भा०प्र०से०  
सरकार के अपर सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग ।

सेवा में,

महालेखाकार,  
बिहार, पटना ।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत माधोपुर फुलवरिया उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 39.882 लाख (उनचालीस लाख अठासी हजार दो सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत माधोपुर फुलवरिया उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य हेतु कुल रूपये 39.882 लाख (उनचालीस लाख अठासी हजार दो सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राकलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	माधोपुर फुलवरिया उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कार्य	मोतिहारी	मेहशी	39.882	40

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्वय्य एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक- 17.04.98 एवं 800 वि0(2) दिनांक- 18.09.2008 एवं 3578 / वि0, दिनांक- 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रति माह विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक-26.12.2024 को ल0सं0मो0 / HKKP/मोतिहारी / 2024-25 / 736 / 2024 के पृ०-11/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संबंधित संचिका के पृ०-12/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी होगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर होगे ।

रामा

प्रत्येष

४

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी ।
14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५५१

पटना, दिनांक— ०२/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, मोतिहारी /कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक— ५५१

पटना, दिनांक— ०२/०१/२०२५

सरकार के अपर सचिव

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त विहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ज्ञापांक— ५५१

पटना, दिनांक— ०२/०१/२०२५

सरकार के अपर सचिव

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-०३/विभागीय बजट प्रशाखा-०२/ आई०टी० मैनेजर/आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

Yma

मुख्य

मंत्री

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0— ल0सिं0मो0 / HKKP/मोतिहारी / 2024–25 / 736 / 2024 ५८२

पटना, दिनांक— ०२/०१/२०२५-

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप  
सेपासमर्शित

सेवा में,

संगीता सिंह, भा०प्र०स०  
सरकार के अपर सचिव,  
लघु जल संसाधन विभाग ।

द्वारा:-

महालेखाकार,  
बिहार, पटना ।  
आंतरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2024–25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत झकिया उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 28.651 लाख (अठाइस लाख पैसठ हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति ।

आदेश:-

स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में “हर खेत तक सिंचाई का पानी” कार्यक्रम के तहत लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अन्तर्गत झकिया उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रूपये 28.651 लाख (अठाइस लाख पैसठ हजार एक सौ रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है । योजना का विवरणी निम्न प्रकार हैः—

क्र० सं0	योजना का नाम	प्रमंडल का नाम	प्रखण्ड का नाम	योजना की प्राक्कलित राशि (लाख में)	C.C.A. (in hac.)
1	2	3	4	5	6
1	झकिया उद्वह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य	मोतिहारी	बंजरिया	28.651	40

2. विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा योजना प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई है । तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदत्त है ।
3. इस योजना का क्रियान्वयन सात निश्चय-02 “हर खेत तक सिंचाई का पानी” निधि से कराया जायेगा ।
4. इस योजना पर होनेवाला व्यय मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-101- सतही जल, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702001010106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य एवं मुख्य शीर्ष-4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0106- हर खेत तक सिंचाई का पानी- सात निश्चय-2, विपत्र कोड 50-4702007890106, विषय शीर्ष-53-01 मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत भारित होगा ।
5. राशि का आवंटनादेश उपलब्ध योजना उद्वय एवं बजटीय उपबंध के अंतर्गत किया जायेगा । वित्त विभागीय पत्रांक-96 वि(2) दिनांक 03.01.2008, 2561 दिनांक— 17.04.98 एवं 800 वि(2) दिनांक— 18.09.2008 एवं 3578 / वि0, दिनांक— 31.05.17 में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
6. योजना के कार्यान्वयन में बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार लोक कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रति विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा ।
8. योजना पर आवंटन की राशि प्राप्त होने पर ही व्यय की जायेगी ।
9. दिनांक—26.12.2024 को ल0सिं0मो0 / HKKP/मोतिहारी / 2024–25 / 736 / 2024 के प०-11/टि० पर सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है ।
10. संबंधित संचिका के प०-12/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।
11. वित्त विभागीय पत्रांक-7355 दिनांक 05.10.07 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
12. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी होगें तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर होगें ।

रुमा

प्रत्यक्ष

★

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, मोतिहारी से की जायेगी ।  
 14. राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही राशि की निकासी की जायेगी, जितनी की तत्काल आवश्यकता होगी । उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

~~(संगता सिंह)~~

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५८२

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग, पटना/उप विकास आयुक्त, मोतिहारी /कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~(अ. सिंह)~~

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५८२

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- विकास आयुक्त बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना+अनुश्रवण+ भूगर्भ), पटना/ मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर /संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(सु०), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~(अ. सिंह)~~

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक— ५८२

पटना, दिनांक— ०७/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव/विभागीय योजना प्रशाखा-०३/विभागीय बजट प्रशाखा-०२/ आई०टी० मैनेजर/आई०टी० कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

~~(अ. सिंह)~~

सरकार के अपर सचिव

ग्रा.

मुख्य

अधिकारी

५८२